यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून** के माह **04/2019** से माह **03/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हितेन्द्र चिकारा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **11.07.2020** से **27.07.2020** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

भाग-1

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजा रंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरिंदम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **07.06.2019** से **18.06.2019** तक श्री संजय कुमार वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **04/2014** से **03/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **04/2019** से **03/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा मुख्यालय के रूप में राज्य के कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोडकर सभी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल का संचालन एवं सीवर व्यवस्था सुचारू रूप से किए जाने तथा तत्सम्बंधी अनुश्रवण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2017-18	700.70	198.53	17762.32	18011.79	451.24	7870.09	7734.42	334.19
2018-19	451.24	334.19	15236.49	13618.96	2068.77	11361.88	9918.84	1777.23
2019-20	2068.77	1777.23	26454.05	26303.20	2219.63	19688.17	20494.18	971.22

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2017-18			2018-19			2019-20		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
NRDWP	122.43	2739.31	2582.09	279.65	487.31	689.63	77.32	404.79	292.90

(i) इकाई को बजट आवंटन योजना हेतु केंद्रीय सहायता, राज्य अनुदान, जिला योजना, वाह्य सहायतित योजना एवं स्वयं के स्रोत से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"अ"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत हैः- **सचिव, पेयजल विभाग→मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान→महाप्रबन्धक, जल संस्थान→अधीक्षण अभियन्ता→अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान।**

(ii) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा जल संभरण की योजनायें बनाना, उनकी प्रोन्नति करना, जांच के उपरांत शुद्ध पेयजल वितरण करना तथा सीवर व्यवस्था का शोधन एवं उन्नति द्वारा सम्पूर्ण राज्य (कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोडकर) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2020** (आय) एवं **12/2019 (व्यय)** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य, विश्व बैंक तथा केन्द्र पोषित योजनाओं का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-1: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत उनुपयोगी धनराशि ` 174.52 लाख तथा शासन को गलत रिपोर्टिंग।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के स्थान पर जल जीवन मिशन के परिचालन संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देश अनुसार वर्ष 2020-21 से किए जाने वाले लेनदेन को पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से सिंगल नोडल बैंक खाते से किया जाना है जो राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर संचालित है।

मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखंड जल संस्थान, देहरादून की लेखापरीक्षा (जुलाई 2020) के दौरान पाया गया कि उपरोक्त के संदर्भ में पी.एफ.एम.एस. के संचालन हेतु ज़िला, खण्ड अथवा मुख्यालय स्तरों पर अवशेष उपलब्ध धनराशि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को वापस किए जाने संबंधी निर्देशों (अप्रैल 2020) के अनुपालन में सभी खण्डों से मार्च 2020 तक राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम अवशेष धनराशि (ब्याज सहित) का संकलन करने के उपरांत कुल उपलब्ध धनराशि ` 190.82 लाख राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को वापस की गई (मई 2020)। संबन्धित अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्णित अवशेष धनराशि वापस किए जाने के उपरांत भी विभिन्न खंडों में उक्त कार्यक्रम से संबन्धित धनराशि अवशेष रही जिसे इस कार्यालय को वापस किए जाने की प्रक्रिया जारी थी तथा 30 जून 2020 को उक्त कार्यक्रम से संबन्धित बैंक खातों में (**निम्न विवरण अनुसार**) ` 174.52 लाख प्रदर्शित हो रहे थे जिसे शासन के संज्ञान में नहीं लाया गया।

(` लाख में)

क्रम संख्या	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के घटकों का विवरण	30 जून 2020 को अवशेष धनराशि
1	कार्यक्रम निधि (Program Fund)	145.52
2	सहयोग निधि (Support Fund)	16.18
3	दैवीय आपदा निधि (Natural Calamity Fund)	6.85
4	आच्छादन निधि (Coverage Fund)	5.97
	योग	**174.52**

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त कार्यक्रम से संबन्धित आच्छादन घटक के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में प्रारम्भिक अवशेष ` 33.42 लाख में केंद्रान्श ` 47.83 लाख व राज्यांश ` (-) 14.41 लाख प्रदर्शित हुए। उक्त वर्ष के दौरान संबन्धित घटक में ` 26.01 लाख अवमुक्त किए गए जो तीन योजनाओं से संबन्धित थी जिस में से दो योजनाओं के अंतर्गत राज्यान्श की कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई। अतः प्रारम्भिक अवशेष में राज्यान्श की धनराशि ऋणात्मक दर्शाए जाने तथा वर्ष 2019-20 की योजनाओं हेतु राज्यान्श अवमुक्त न किए जाने से स्पष्ट है कि राज्यान्श की भरपाई केंद्रान्श से की गई जिस से योजनाओं पर विपरीत असर पड़ा तथा कई योजनाएँ अपूर्ण रहीं।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर मुख्य महाप्रबंधक द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि खण्डों से अवशेष धनराशि के रूप में जो प्राप्त हो रही है वह पूर्व में सामान्य मद (स्वजनित आय) से सामग्री क्रय हेतु उपयोग की गयी धनराशि है जो सामान्य मद में वापस की जानी है। उत्तर में आगे बताया गया कि वर्ष 2017-18 में प्राप्त धनराशि को वर्ष 2018-19 में coverage मद से Water quality Maintenance and Supervision (WQMS) मद में व्यावर्तित किया गया तथा वर्ष 2017-18 में अर्जित ब्याज की राशि वर्ष 2018-19 में coverage मद से घटाया गया जिस कारण राज्यान्श ऋणात्मक प्रदर्शित हो रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित योजनाओं हेतु सामान्य मद से सामग्री क्रय संबंधी कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया ओर न इस प्रकार की कोई प्रविष्ठि रोकड़ बही/बैंक बुक में अंकित की गयी थी। इस के अतिरिक्त Coverage मद से धनराशि का व्ययवर्तन किया जाना भी अनियमित था।

अतः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत ` 174.52 लाख की धनराशि न केवल उनुपयोगी पायी गयी अपितु शासन को भी अंतिम अवशेष की गलत रिपोर्टिंग कर सच्चाई से अनभिज्ञ रखा गया।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 2 : वर्ष 2019-20 में जल मूल्य, सीवर शुल्क तथा अन्य मदों में `17,965.11 लाख की वसूली लंबित रहना।

उत्तरांचल शासन, पेयजल अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2231/नौ-2 (12 अधि.)/2001 दिनांक 07 नवम्बर 2002 के अनुसार उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 संशोधनों के साथ उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) राज्य में लागू है जिसे उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 कहा गया है।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अध्याय 6 की धारा 59 एवं 60 के अनुसार जल संस्थान अपने क्षेत्र के भीतर जल मूल्य तथा सीवर शुल्क वसूल करता है। जल संस्थान एक स्वायत्तशासी संस्था है तथा अपने अधिष्ठान व्यय जिसमें सेवानिवृत्तिक लाभ भी शामिल हैं, की प्रतिपूर्ति अपनी स्वजनित आय से करता है।

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की जांच (जुलाई 2020) में पाया गया कि उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान जलमूल्य, सीवर शुल्क तथा अन्य मदों में निम्नानुसार वसूली की गई:-

तालिका 1: जल मूल्य

(धनराशि ` लाख में)

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली/समायोजन	गतशेष
01.	2017-18	9686.81	18938.02	28624.83	17654.88 **(62%)**	10969.95
02.	2018-19	10969.95	20421.89	31391.84	19407.96 **(62%)**	11983.88
03.	2019-20	11983.88	24546.35	36530.23	19407.96 **(53%)**	17122.27

तालिका 2: सीवर शुल्क

(धनराशि ` लाख में)

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली/समायोजन	गतशेष
01.	2017-18	420.99	669.82	1090.81	602.84 **(55%)**	487.97
02.	2018-19	487.97	712.42	1200.39	693.03 **(58%)**	507.36

03.	2019-20	507.36	785.45	1292.81	803.69 **(62%)**	489.12

<u>तालिका 3: अन्य मद (विकास शुल्क, सुपरविजन चार्ज, टैंडर फीस, आर.टी.आई. फीस आदि)</u>

(धनराशि ` लाख में)

क्रं.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	चालू माँग	कुल माँग	वसूली/समायोजन	गतशेष
01.	2017-18	43.59	4374.04	4417.63	4355.28 **(99%)**	62.35
02.	2018-19	62.35	4706.31	4768.66	4396.49 **(92%)**	372.17
03.	2019-20	372.17	2578.79	2950.96	2597.24 **(88%)**	353.72

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि जल संस्थान द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान जल मूल्य के रूप में 53 से 62 प्रतिशत तथा सीवर शुल्क के रूप में 55 से 62 प्रतिशत की वसूली की गई जोकि काफी कम है। इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर कुल **`17965.11 लाख** (जल मूल्य: `17122.27 लाख, सीवर शुल्क: `489.12 लाख तथा अन्य मद: `353.72 लाख) की वसूली किया जाना बाकी था। जलमूल्य तथा अन्य मदों में वसूली बढ़ने की बजाय वर्ष दर वर्ष कम होती जा रही थी जिसके कारण जल संस्थान की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि फरवरी/मार्च 2020 में कार्मिकों की हड़ताल तथा कोरोना वायरस के संकट के दृष्टिगत वसूली प्रभावित हुई है। इकाई ने आगे बताया कि अवशेषों में वृद्धि का मुख्य कारण ऐसे संयोजन/भवन/संपत्तियाँ हैं, जो वर्तमान में खंडहर हो चुके हैं परंतु इन भवनों की मांग स्थगित किए जाने का कोई प्रावधान न होने के कारण इनके अवशेषों में 1.5 प्रतिशत मासिक की दर से विलम्ब शुल्क के साथ वृद्धि हो रही थी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जल परिव्यय तथा सीवर शुल्क की वसूली केवल 2019-20 के दौरान ही प्रभावित नहीं हुई थी अपितु 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान भी इकाई द्वारा कम वसूली की गई थी। जल संस्थान की स्वजनित आय की कमी के कारण जल संस्थान की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही थी जोकि जल संस्थान के हित में नहीं है तथा इसके कारण इकाई को भविष्य में अपने अधिष्ठान व्यय जिसमें सेवानिवृत्तिक लाभ भी शामिल हैं, की प्रतिपूर्ति हेतु कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

उपरोक्त के सम्बंध लेखापरीक्षा यह संस्तुति करता है कि जल संस्थान अपनी स्वजनित आय की अधिक वसूली करना सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में उसे किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

अतः इकाई द्वारा अपनी स्वजनित आय की कम वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – II (ब)

प्रस्तर-3 : जलस्तंभों के सापेक्ष शुल्क की कम माँग किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि रुपये 43.58 लाख।

उत्तराखण्ड जल संस्थान एक स्वायत्तशासी संस्था है तथा अपने अधिष्ठान व्यय जिसमे सेवानिवृत्तिक लाभ भी सम्मिलित है, की प्रतिपूर्ति अपनी स्वजनित आय से करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य रख-रखाव मद के अंतर्गत अति आवश्यक कार्यों पर भी कुछ भाग तक व्यय करता है।

उत्तराखण्ड जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) के अधीन जल संस्थान के कृत्यों में जलस्तंभों के निर्माण, संचालन, रख-रखाव एवं अनुश्रवण किए जाने की व्यवस्था है। जलस्तंभ के निर्माण हेतु स्थान का चयन संबन्धित ग्रामसभा की सहमति से किया जाता है, जिससे समस्त ग्रामवासियों को समान रूप से स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सके। जलस्तंभों के देयक ग्रामसभा के रख-रखाव में रखे गए भाग-I एवं भाग-II रजिस्टर के अनुसार प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से जलस्तंभ शुल्क लिया जाता है।

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2019-20 हेतु संस्थान के अंतर्गत कार्यरत कुल 34 में से 22 खण्डों द्वारा संचालित कुल – 41,941 जलस्तंभों (अनुलग्नक-I) के सापेक्ष जलस्तंभ शुल्क के रूप में कुल रुपये 275.43 लाख की माँग उपभोगता परिवारों से की गयी थी। आगे जाँच में पाया गया कि उक्त 34 में से शेष 12 खण्डों द्वारा संचालित कुल – 6630 जलस्तंभों (अनुलग्नक-II) के सापेक्ष जलस्तंभ शुल्क के रूप में कोई भी माँग उपभोगता परिवारों से नहीं की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप उक्त 12 खण्डों द्वारा जलस्तंभ शुल्क के रूप में कुल रुपये 43.58 लाख की कम माँग की गयी थी एवं राजस्व की हानि हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जल संस्थान द्वारा बताया गया कि नगर क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से निष्क्रिय जल स्तंभों को विच्छेदित किए जाने के उपरान्त इन जल स्तंभों पर माँग नहीं की जा रही है। इनके स्थान पर निजी जल संयोजन दिये जा रहे है अर्थात निजी जल संयोजनों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। यह भी सूचित किया गया कि जल स्तम्भ शुल्क के रूप में दिखाई गयी हानि की धनराशि की पुष्टि किया जाना संभव नहीं है क्योंकि अभी 2019-20 के आँकड़े लॉकडाउन के फलस्वरूप प्राप्त नहीं हुए है तथा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए आँकड़े लेखापरीक्षित नहीं है जो कि परिवर्तनीय हो सकते है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कुल उपलब्ध जलस्तंभों में से कितने जलस्तंभ क्रियाशील/निष्क्रिय है या कितने जलस्तंभों को विच्छेदित किया जा चुका है की कोई भी वर्गीकृत/ स्पष्ट जानकारी संस्थान के पास उपलब्ध नहीं थी जिसके अभाव में उक्त 12 खण्डों द्वारा 6630 जलस्तंभों के सापेक्ष शुल्क के रूप में कोई

भी माँग उपभोगता परिवारों से नहीं किया जाना तर्कसंगत नहीं था। यह भी कि संस्थान द्वारा निष्क्रिय जल स्तंभों को विच्छेदित किए जाने के संबंध में कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

अत: जल संस्थान द्वारा जलस्तंभों के सापेक्ष शुल्क की कम माँग किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि रुपये 43.58 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

(अनुलग्नक – I)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	**इकाई**	**जलस्तंभों की संख्या**	**संस्थान द्वारा की गयी माँग**	**माँग के सापेक्ष आय**
1	पित्थुवाला	00	0.00	0.00
2	रायपुर	00	0.00	0.00
3	मसूरी	243	1.23	0.00
4	अनु°खण्ड देहरादून	513	1.64	0.45
5	हरिद्वार (गंगा)	00	0.00	0.00
6	पौड़ी	3488	27.04	20.59
7	कोटद्वार	3551	14.15	12.28
8	चमोली	685	11.20	2.73
9	कर्णप्रयाग	1982	13.46	8.93
10	रुद्रप्रयाग	3019	19.28	12.22
11	टिहरी	2518	12.04	9.20
12	घनसाली	704	3.55	2.14
13	देवप्रयाग	2666	14.45	12.25
14	नैनीताल	3017	21.54	11.82
15	रामनगर	145	5.17	8.87
16	खटीमा	83	0.17	0.01
17	अल्मोड़ा	3840	20.54	11.61
18	रानीखेत	4471	33.88	24.34
19	पिथौरागढ़	2011	19.62	6.91
20	डीडीहाट	2104	8.94	5.56
21	चंपावत	4013	27.87	10.18
22	बागेश्वर	2888	19.66	22.86
	कुल	**41941**	**275.43**	**183.60**

नोट:उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार एक जलस्तंभ से प्रतिमाह औसतन 3.30[1] परिवारों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध की जा रही है।

[1] औसत माँग/ जलस्तंभ = ₹(275.43 x 100000)/41941 = ₹656.71
लाभान्वित परिवार/ जलस्तंभ प्रतिमाह = ₹656.71/ (₹16.60 x 12 माह) = 3.30 परिवार/ जलस्तंभ प्रतिमाह

अनुलग्नक – II

(रुपये में)

क्रम सं.	इकाई	जलस्तंभों की संख्या	अधिसूचना के अनुसार माँग[2]	संस्थान द्वारा की गयी माँग	कम माँग
1	देहरादून उत्तर	33	21692.88	0.00	21692.88
2	देहरादून दक्षिण	775	509454	0.00	509454
3	जलकल ऋषिकेश	127	83484.72	0.00	83484.72
4	जलकल विकासनगर	64	42071.04	0.00	42071.04
5	हरिद्वार	975	640926	0.00	640926
6	उत्तरकाशी	526	345771.4	0.00	345771.4
7	पुरोला	08	5258.88	0.00	5258.88
8	हल्द्वानी	1093	718494.5	0.00	718494.5
9	लालकुआँ	161	105835	0.00	105835
10	उधमसिंह नगर	942	619233.1	0.00	619233.1
11	रामनगर	615	404276.4	0.00	404276.4
12	रामनगर	1311	861799	0.00	861799
	कुल	**6630**	**4358297.00**	**0.00**	**4358297.00**

नोट: जल संस्थान के अंतर्गत 22 खण्डों द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु जलस्तंभों के सापेक्ष जारी की गयी माँग को आधार मानते हुए शेष 12 खण्डों के लिए वर्ष 2019-20 हेतु 6630 जलस्तंभों के सापेक्ष शुल्क की गणना की गयी है। जिसके अनुसार उक्त 12 खण्डों द्वारा जलस्तंभों के सापेक्ष शुल्क के रूप में कुल रुपये 43.58 लाख की कम माँग की गयी थी।

[2] माँग = जलस्तंभ की संख्या x 12माह x ₹16.60 x 3.30 परिवार/जलस्तंभ
3.30 परिवार/जलस्तंभ की गणना अन्य 22 खण्डों द्वारा जारी की गयी माँग के आधार पर की गयी है।

भाग II- ब

प्रस्तर 4 : उपविधि बनाए जाने के 12 वर्ष पश्चात भी समस्त जल संयोजनों में मीटर स्थापित न किया जाना।

उत्तराखण्ड जल संस्थान जल सम्भरण एवं सीवर उपविधि, 2008 के प्रस्तर 21 के अनुसार, "All private pipe connections for supply of water for industrial, commercial, construction and domestic purpose shall be metered and shall be paid for at costs approved by the Uttarakhand Jal Sansthan from time to time." Further, as per para 29 of the said byelaws, the bills are to be prepared and delivered to the consumer on the basis of meter reading.

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना/अभिलेखों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में मार्च 2020 तक कुल **7,29,680** जल संयोजन (घरेलू एवं अघरेलू) स्थापित किए गए थे जिनका विवरण निमन्वत है:-

संयोजन का प्रकार	नगर	ग्रामीण	योग
घरेलू	463743	232013	695756
अघरेलू	24990	8934	33924
कुल योग	**488733**	**240947**	**729680**

आगे अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2020) में पाया गया कि उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा **7,29,680** जल संयोजनों के सापेक्ष केवल **44,647 (6 प्रतिशत)** जल संयोजनों में ही मीटर स्थापित किए गए थे जोकि काफी कम थे। इकाई के पास यह विवरण उपलब्ध नहीं था कि कितने घरेलू तथा कितने अघरेलू जल संयोजनों में मीटर स्थापित किए गए थे।

जल संस्थान द्वारा उपविधि बनाए जाने के 12 वर्ष पश्चात भी सभी जल संयोजनों में मीटर स्थापित न किए जाने के बारे में पूछे जाने पर, इकाई ने अपने उत्तर में उत्तराखण्ड जल संस्थान जल सम्भरण एवं सीवर उपविधि, 2008 के अन्तर्गत सभी प्रकार की जलापूर्ति मीटरयुक्त किए जाने की व्यवस्था को स्वीकारते हुए बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत श्रीनगर, नैनीताल एवं पिथौरागढ़ में वर्तमान तक 13,662 ए.एम.आर. मीटर लगाए गए हैं।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपविधि बनाये जाने के 12 वर्ष पश्चात भी जल संस्थान द्वारा केवल 6 प्रतिशत जल संयोजनों में ही मीटर स्थापित किए गए थे जोकि काफी कम थे। सभी जल संयोजनों में मीटर स्थापित न किया जाना विभागीय उदासीनता को दर्शाता है। जबकि इस सम्बंध में 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर 15.50 में भी यह संस्तुति की गई थी कि, "States should progressively move towards 100 per cent metering of individual drinking water connections to households, commercial establishment as well as institutions. All existing individual connections in urban and rural areas should be metered by March 2017 and the cost of this should be borne by consumers."

अतः जल संस्थान द्वारा सभी जल संयोजनों में मीटर स्थापित न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – II(ब)

प्रस्तर- 5 : रुपये 16 करोड़ के व्यय उपरान्त भी पेयजल सुविधा से लाभान्वित बस्तियों की संख्या में गिरावट होना।

उत्तराखण्ड जल संस्थान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं का विकास करना है। इसके अतिरिक्त, संस्थान का मुख्य कृत्य जल सम्भरण की योजनाएँ बनाना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु जारी कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका के अनुसार (भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की आई.एम.आई.एस. वैबसाइट के अनुसार) दिनाँक – 01.04.2015 को 40 एल.पी.सी.डी. की दर से उत्तराखण्ड राज्य के तीन जिलों में पेयजल से पूर्ण रूप से सेवित बस्तियों की कुल संख्या – 5966[3] थी।

कार्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान , देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्थान द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान उक्त तीन जिलों में पेयजल योजनाओं के संचालन, रख-रखाव, जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 57 योजनाओं के अंतर्गत रुपये 16.00[4] करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप उक्त जिलों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति में सुधार आना चाहिए था। परंतु लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि उक्त तीन जिलों में संस्थान द्वारा पेयजल योजनाओं पर रुपये 16.00 करोड़ का व्यय किए जाने के उपरान्त भी पेयजल से पूर्ण रूप से सेवित बस्तियों की संख्या में भारी गिरावट (297 बस्तियाँ कम) आई थी जिसका तुलनात्मक विवरण तालिका-I में दिया गया है:

(तालिका –I[5])

क्रम सं.	जनपद	दिनाँक - **01.04.2019** की स्थिति			दिनाँक - **01.04.2015** की स्थिति			आंशिक सेवित में गिरावट	सेवित में गिरावट
		कुल	आंशिक सेवित	सेवित	कुल	आंशिक सेवित	सेवित		
1	2	3	5	6	7	9	10	11	12
01	चमोली	3162	1491	1671	3208	1368	1840	(+)123	**(-)169**
09	चंपावत	2237	593	1644	2243	558	1685	(+)35	**(-)41**
12	नैनीताल	2716	362	2354	2716	275	2441	(+)87	**(-)87**
		8115	**2446**	**5669**	**8167**	**2201**	**5966**	**(+)245**	**(-)297**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि सेवित बस्तियों के विस्तारीकरण के कारण पूर्ण सेवित बस्तियाँ आंशिक सेवित बस्तियों की श्रेणी में आने के फलस्वरूप आँकड़ों में परिवर्तन आना स्वाभाविक है

[3] चमोली – 1840, चंपावत – 1685 एवं नैनीताल – 2441

[4]

जनपद – चमोली, चंपावत एवं नैनीताल हेतु	वर्ष	योजनाओं की कुल संख्या	लागत	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि (03/20 तक)
	2015-16	13	761.39	579.04	579.04
	2016-17	21	680.10	437.22	437.22
	2017-18	02	9.79	252.40	252.40
	2018-19	06	105.93	118.12	118.12
	2019-20	15	522.23	307.35	213.38
	कुल	57	2079.44	1694.13	1600.16

[5] कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका (2019-20) – परिशिष्ट – 2 एवं कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका (2015-16) – परिशिष्ट -1

तथा संस्थान द्वारा उक्त धनराशि से केवल पेयजल योजनाओं के संचालन, रख-रखाव, जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण का कार्य ही किया जाता है।

संस्थान का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संस्थान का मुख्य कृत्य जल सम्भरण की योजनाएँ बनाना, उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना है। रुपये 16.00 करोड़ के व्यय उपरान्त भी उक्त तीन जिलों में पूर्ण सेवित बस्तियों की संख्या में गिरावट आना संस्थान द्वारा अपने उद्देश्य एवं कर्तव्यों के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है।

अत: रुपये 16 करोड़ के व्यय उपरान्त भी पेयजल सुविधा से लाभान्वित बस्तियों की संख्या में गिरावट आने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – II(ब)

प्रस्तर- 6 : विभागीय उदासीनता एवं लापरवाही के परिणामस्वरूप एक ब्लैक लिस्टेड फर्म द्वारा विगत दो वर्षों से अधिक समय से एस.टी.पी. का संचालन किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त के बिन्दु 13(3) के अनुसार "प्रत्येक सरकारी कर्मचारी लोकधन से व्यय करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जिस प्रकार समान्यत: एक बुद्धिमान व्यक्ति निजी धन व्यय करते समय बरतता है।"

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून की लेखापरीक्षा (माह-07/2020) में पाया गया था कि संस्थान द्वारा हरिद्वार स्थित 27 एम.एल.डी. एस.टी.पी. जगजीतपुर के अनुरक्षण एवं संचालन कार्य हेतु (5 वर्षों - दिनाँक – 01.10.2016 से 31.10.2021 तक) ठेकेदार M/s UPL Environmental Engineers Limited, पुणे के साथ अनुबंध संख्या – 16/(सी.बी.)/एस.ई./ 2016-17, दिनाँक – 01.10.2016 को गठित किया गया था। उक्त अनुबंध के अंतर्गत संस्थान द्वारा ठेकेदार को एस.टी.पी. के अनुरक्षण एवं संचालन कार्य हेतु पाँच वर्षों में कुल रुपये 43993476.00[6] का भुगतान किया जाना था।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकारियों की टीम द्वारा दिनाँक – 21.12.2017 एवं 22.12.2017 को हरिद्वार स्थित उक्त एस.टी.पी. का निरीक्षण किया गया था। टीम ने निरीक्षण के दौरान 27 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के संचालन में गंभीर अनियमितताएँ एवं लापरवाही पायी गयी थी। उक्त लापरवाही के संबंध में महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा दिनाँक – 09.01.2018 को मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन को पत्र प्रेषित करते हुए एस.टी.पी. के संचालन में पायी गयी निम्न अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था:

1- हरिद्वार स्थित 27 एम.एल.डी. एस.टी.पी. अक्रियाशील पाया गया था एवं एस.टी.पी. के क्लोरीन कान्टैक्ट टैंक (सी.सी.टी.) में मच्छरों का अत्यधिक प्रजनन पाया गया था जो यह दर्शाता है कि क्लोरीन डोजिंग अपर्याप्त की जा रही थी। क्लोरीन कान्टैक्ट टैंक में पानी का रुकना यह दर्शाता है कि प्लांट का संचालन निरंतर रूप से नहीं हो रहा था।

2- पी.डबल्यू.डी. नाले पर स्थित सीवरेज पंपिंग स्टेशन में स्थापित 04 पंपों में से केवल एक पंप चलता हुआ पाया गया था। इस नाले को टैप करने के लिए मिट्टी के कट्टों का इस्तेमाल कर जो ड्रेन बनाई गयी थी वह अत्यधिक लीक होने के कारण ओवरफ्लो कर रही थी, जिससे सीवर का गंदा पानी सीधे गंगा में गिर रहा था।

---

[6] प्रथम वर्ष - ₹663476.00 x 12 = ₹79,61,712.00
द्वितीय वर्ष - ₹696650.00 x 12 = ₹8359800.00
तृतीय वर्ष - ₹731482.00 x 12 = ₹8777784.00
चतुर्थ वर्ष - ₹768056.00 x 12 = ₹9216672.00
पंचम वर्ष - ₹806459.00 x 12 = ₹9677508.00
कुल धनराशि 5 वर्षों के लिए - ₹43993476.00

महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा अपने उक्त पत्र के माध्यम से संबन्धित फर्म एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का निवेदन किया गया था। महानिदेशक के उक्त पत्र में इंगित बिन्दुओं के आधार पर सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन ने अपने पत्र दिनाँक – 12.01.2018 द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, उ.ज.स. को ठेकेदार मैसर्स UPL Environmental Engineers Limited का अनुबंध तत्काल समाप्त करते हुए अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध आर्थिक दण्ड अधिरोपित करने तथा उन्हें भविष्य हेतु ब्लैक लिस्ट करने के आदेश जारी किए थे। शासन के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में मुख्य महाप्रबंधक, उ.ज.स. द्वारा अपने पत्र दिनाँक – 12.01.2018 के माध्यम से अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान को संबन्धित फर्म का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर भविष्य हेतु ब्लैक लिस्ट करने हेतु आदेशित किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक के उपरोक्त पत्र के अनुपालन में अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण शाखा (गंगा) द्वारा अपने पत्र दिनाँक – 13.01.2018 के माध्यम से मैसर्स UPL Environmental Engineers Limited का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उन्हे भविष्य हेतु ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया था। उक्त फर्म का अनुबंध निरस्त करने के बाद अस्थाई व्यवस्था के लिए एस.टी.पी. संचालन का कार्य मैसर्स Eco sewer technology and services, Saharanpur से कोटेशन के आधार पर कराया जा रहा था।

अनुबंध समाप्त व ब्लैक लिस्ट करने के विरुद्ध मैसर्स UPL Environmental Engineers Limited द्वारा एक रिट याचिका संख्या – 207/2018 मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित की गयी थी। उक्त याचिका में मा. उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनाँक – 16.01.2018 के माध्यम से केवल विभाग के ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किए जाने के आदेश को स्थगित किया गया था। विभाग के ठेकेदार के अनुबंध का अंतिमिकरण किए जाने के आदेश को मा. न्यायालय द्वारा स्थगित नहीं किया गया था तथा विभाग उपरोक्त रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अनुसार ठेकेदार द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी को जब्त करने हेतु भी स्वतंत्र था। इसके अतिरिक्त, मा. उच्च न्यायालय द्वारा विभाग को प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत करने हेतु 4 सप्ताह का समय दिया गया था। विभाग द्वारा मा. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में ठेकेदार के अनुबंध का अंतिमिकरण कर अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध आर्थिक दण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी तथा निर्धारित समय के अंतर्गत प्रति-शपथपत्र मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था।

परंतु लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि मा. न्यायालय द्वारा बार-बार अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी विभाग उक्त रिट याचिका में प्रति-शपथपत्र मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहा था जिसके परिणामस्वरूप मा. न्यायालय द्वारा आदेश दिनाँक – 23.05.2018 के माध्यम से शासन एवं विभाग के ठेकेदार के अनुबंध का निरस्तीकरण एवं ब्लैक लिस्टेड किए जाने के आदेशों दिनाँक – 12.01.2018 एवं 13.01.2018 को भी स्थगित कर दिया गया था। न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश दिनाँक – 23.05.2018 के अनुपालन में विभाग द्वारा एस.टी.पी. के संचालन का कार्य दिनाँक – 30.05.2018 से पुन: उसी फर्म (UPL Environmental Engineers Limited) से करवाया जा रहा था जिसके द्वारा एस.टी.पी. के संचालन एवं रख-रखाव में गंभीर अनियमितता की गयी थी।

उक्त के अतिरिक्त, मा. न्यायालय द्वारा कई अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी विभाग द्वारा निर्धारित समय के अंतर्गत प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण मा. उच्च न्यायालय द्वारा (आदेश दिनाँक –

22.06.2018) प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत करने के अवसरों को समाप्त कर दिया गया था। अंत में विभाग द्वारा उक्त रिट याचिका में दिनाँक – 05.07.2018 को मा. न्यायालय के समक्ष प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा (आदेश दिनाँक – 17.07.2018) विभाग के पाँच हज़ार रुपये जमा किए जाने की शर्त पर स्वीकार किया गया था। मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक – 26.07.2018 से ज्ञात हुआ था कि विभाग द्वारा उक्त तिथि तक भी प्रति-शपथपत्र जमा किए जाने हेतु पाँच हज़ार रुपये न्यायालय में जमा नहीं किए गए थे। आगे जाँच में पाया गया था कि उक्त वाद में दिनाँक – 31.07.2018 के पश्चात कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप एस.टी.पी. के संचालन का कार्य दिनाँक – 30.05.2018 से फर्म (UPL Environmental Engineers Limited) द्वारा ही किया जा रहा था।

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तोनुसार ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी तथा उक्त रिट याचिका में गंभीर लापरवाही बरतते हुए न्यायालय के समक्ष प्रति-शपथपत्र निर्धारित समय के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मा. उच्च न्यायालय द्वारा विभाग के सभी आदेशों को स्थगित कर दिया गया था एवं उक्त एस.टी.पी. के संचालन का कार्य विगत 2 वर्षों से उसी फर्म द्वारा किया जा रहा था जिसके द्वारा एस.टी.पी. के संचालन एवं रख-रखाव में गंभीर अनियमितता की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा सूचित किया गया था कि उक्त प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण होने के कारण विभागीय अधिवक्ता द्वारा उक्त के संबंध में बार-बार जानकारी माँगी जा रही थी जिस कारण विभाग की ओर से मा. उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल करने में विलम्ब हो गया था। जल संस्थान द्वारा मा. उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल करने हेतु पाँच हज़ार रुपये जमा करा दिये गए है तथा अपना शपथ-पत्र भी जमा करा दिया गया है जिसे मा. उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यह भी सूचित किया गया था कि उक्त वाद में दिनाँक – 26.07.2018 के पश्चात अगली सुनवाई की तिथि 13.09.2018 नियत की गयी थी तथा उसके बाद सुनवाई हेतु कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई थी।

विभाग का कोई भी उत्तर बिल्कुल भी मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा विभागीय अधिवक्ता द्वारा उक्त के संबंध में बार-बार जानकारी माँगे जाने या विभाग द्वारा विभागीय अधिवक्ता को बार-बार जानकारी प्रेषित किए जाने तथा विभाग द्वारा मा. उच्च न्यायालय में पाँच हज़ार रुपये जमा किए जाने के संबंध में कोई भी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए थे जोकि विभागीय स्तर पर शपथ-पत्र दाखिल करने में लापरवाही को दर्शाता है। यह भी कि उक्त वाद में दिनाँक – 13.09.2018 के पश्चात सुनवाई हेतु कोई तिथि निर्धारित न होना भी विभागीय स्तर पर गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

अत: विभागीय उदासीनता एवं लापरवाही के परिणामस्वरूप एक ब्लैक लिस्टेड फर्म द्वारा विगत दो वर्षों से अधिक समय से एस.टी.पी. के संचालन किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
सा.क्षे./ले.प.प्रति. संख्या: 11/2019-20	शून्य	01,02,03	01,02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		इकाई द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 11/2019-20 की अनुपालन आख्या पत्रांक 1195/वि.अनु./02/ऑडिट /2020-21 दिनांक 14.07.2020 के माध्यम से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त की छायाप्रति संलग्न है।		

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री एस.के.शर्मा	मुख्य महाप्रबन्धक	01.06.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/01 दिनांकित 29.07.2020 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून - 248 195** को प्रेषित कर दी जाय ।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2